माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का ज्ञापन

सीएच/ 26 / 2015

सभी अधिकारी

विषय: कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व एवं निर्वाह नीति

दिनांक 22.01.2015 को सम्पन्न बैठक में मण्डल ने 'माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व और निर्वाह नीति' को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों को अनुपालन का अंग माना है। कथित नीति की एक प्रति इसके साथ संलग्न है।

एमडीएल की कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व और निर्वाह नीति निदेशक मण्डल के अनुमोदन की तिथि 22.02.2015 से लागू होगी।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

संलग्न: उपरोक्त

मुंबई: 400 010

17 फरवरी 2015

प्रति:

निदेशक गण

मुसअ

कारपोरेट का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं निवार्ह नीति

1. प्रस्तावना : - माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड(एमडीएल) कारपोरेट के सामाजिक उत्तरदायित्व एवं निवार्ह के लिए विकासशील परियोजनाओं एवं कार्यक्रम को अपने अंग के रूप में ग्रहण करने के लिए प्रतिबद्ध है , इसकी शुरू त समाज के अति पिछड़े एवं नीचे तपके के लोगों के जीवन के गुणता को उन्नत बनाकर एवं अन्य शेयरधारकों के साथ लोगों के जीवन को सकारात्मक बनाने का एक प्रयत्न कर लोगों के जीवन में सुधार कर समाज एवं राष्ट्र के निर्माण के निर्वाह में योगदान करना । इस दिशा में समय - समय पर सरकारी उद्यम विभाग द्वारा जारी किया गया दिशा - निर्देश के अंतर्गत माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 135 के प्रावधन का पालन करेगी ।

2. **विजन** : वृद्धि एवं योजनाओं के साथ सामाजिक एवं व्यवसायिक एकीकृत लक्ष्यों का निर्वाह कार्य का कार्यक्रम ग्रहण कर सामाजिक प्रभाव लाना ।

3. **मिशन** : विशिष्ट रूप से लोगों पर एवं विस्तृत रूप से समाज दोनों को प्रभावित करने हेतु माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, सामाजिक - थिक उन्नति, विकासशील गतिविधियों को बनाये रखने के लिए प्रतिबद्ध है ।

4. <u>परिभाषाएं</u> :-

4.1 **<u>सक्षम प्राधिकारी</u> :** सक्षम प्राधिकारी का अर्थ हैं , माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ।

4.**2** **<u>कम्पनी</u>** : कम्पनी का अर्थ है, माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ।

4.3 **<u>सीपीएसई</u>** : सीपीएसई का अर्थ है, केंद्रीय सरकार का उद्यम विभाग ।

4.4 **<u>सीएसआर</u>** : सीएस र का अर्थ है, कारपोरेट का सामाजिक उत्तरदायित्व ।

4.5 **<u>एचओडी</u>** : एचओडी का अर्थ है , विभाग का प्रमुख ।

4.6 **<u>स्थानीय क्षात्र</u>** : स्थानीय क्षेत्र का अर्थ हैं, मुम्बई, थाने, एवं रेजड रिजन / जिला में परियोजना / कार्यक्रम एवं गतिविधियों का होना ।

4.7 **<u>एमडीएल :</u>** एमडीएल को कम्पनी के रूप में सम्बोधित किया जायेगा ।

4.8 **<u>सा.का.ज्ञा</u>** : सा.का.ज्ञा का अर्थ है कम्पनी एवं अन्य संगठनों / संस्थाओं के बीच हस्ताक्षरित समझौते का ज्ञापन ।

4.9 **<u>एनजीओ</u>** : गैर सरकारी संगठन ।

4.10 **<u>विशिष्ठ संगठन / ऐजेंसी</u>** : - विशिष्ठ संगठन में एनजीओ, स्वैच्छिक संगठनों / ऐजेंसियों, संस्थाओं, शैक्षणिक संगठनों,

समाज, समुदाय पर धारित संगठनों, स्वंय सेवी समूहों , ट्रस्ट मिशन एवं व्यवसायिक परामर्श दाता संगठन इत्यादि येगा ।

5. परियोजनाएं / कार्यक्रम : -

कम्पनी अधिनियम 2013 के सूची VII के अंर्तगत जिन परियोजनाओं / कार्यक्रमों को करेगी उनकी संख्या निम्नलिखित है :

5.1 अभाव, गरीबी एवं कुपोषण को जड़ स खत्म करना :

5.1.1 समाज के गरीब एवं अन्य वंचित समुदायों के लिए भोजन, सप्लिमेंट पोषण कपड़ों इत्यादि के लिए प्रावधान ।

5.1.2 गनवाडी के केंद्रों को पोषण के लिए मदद करना एवं इसके लिए गनवाडी के कर्मियों की क्षमता को बढ़ाना ।

5.1.3 वासहीन के लिए श्रय का प्रावधान ।

5.2 सुरक्षित स्वास्थ्य व्यवस्था एवं सफाई सहित स्वास्थ्य व्यवस्था को बढ़ावा दना:

5.2.1 स्वास्थ्य परीक्षण , औषधि एवं उपचार सुविधाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रमों को योजन करना

5.2.2 पूर्व प्रसव एवं पूर्वोत्तर प्रसव स्वास्थ्य व्यवस्था की सुविधाओं को प्रदान करना ।

5.2.3 जागरूकता अभियान द्वारा महिलाओं के भ्रुण हत्याओं को रोकना ।

5.2.4 बिमारियों से बचने एवं इम्युन को बढ़ाने के लिए सुरक्षा कार्यक्रमों को बढ़ावा देना ।

5.2.5 सफाई एवं स्वच्छ जल की उपलब्धता, (संदर्भ जी.एस.□ र. 741 (ई) दिनांक 24 अक्टूबर 2014) को केन्द्रीय सरकार द्वारा व्यवस्था की गई स्वच्छ भारत कोष के अंशदान द्वारा बढ़ावा देना ।

5.3 विशिष्ठ शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण सहित शिक्षा को विशषत: बच्चों, वृद्धों एवं अन्यतम योग्य को बढ़ावा दना -

5.3.1 अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम

5.3.2 बेंच, टॉयलेटों, पोटेबल वाटर , पंखो इत्यादि से सुसज्जित करने में विद्यालयों मदद करना ।

5.3.3 अन्य शैक्षिणक संस्थाओं, विशेष विद्यालय शिक्षा में मदद करना ।

5.3.4 शिक्षा प्रगति के लिए सामान्य सुविधाओं को उन्नत करना ।

5.3.5 उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना ।

5.3.6 व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना ।

5.4 नारी सशक्तिकरण सहित लैंगिक समानता को बढ़ावा दना :

5.4.1 महिलाओं के लिए व्यस्क शिक्षा ।

5.4.2 महिला स्वंय सेवी एवं संयुक्त रूप से कार्यकारी दलों को संवर्धन एवं ऋण का सहयोग देना ।

5.4.3 महिलाओं को उनके अनुसार व्यवसायिक प्रशिक्षण ।

5.4.4 महिलाओं एवं अनाथों के लिए घर एवं वास की व्यवस्था ।

5.4.5 वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था ।

5.4.6 कामगार एवं महिला छात्रों के लिए वास की व्यवस्था, कामगार महिलाओं के लिए दिन में बच्चों का देखभाल करने वाला केंद्र ।

5.5 **पारिस्थितिक संतूलन एवं पर्यावरण निर्वाह निम्नलिखित द्वारा :-**

5.5.1 सामान्यत: विद्यालयों, गांवो, हमारे निर्माण एकको एवं कार्यालयों / व्यवसाय परिसरों एवं अन्य क्षेत्रों में वृक्षारोपण द्वारा

5.5.2 बर्बाद हो रहे पौधो को बचाना, कृषि धरित वनों को बढ़ावा देना ।

5.5.3 फ्लोरा एवं फौना को बचाना

5.5.4 प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण

5.5.5 मिट्टी, वायु एवं जल की गुणवत्ता के साथ गंगा नदी तरूण करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा व्यवस्था की गई नीधि के अंशदान से गंगा सफाई का ध्यान रखना,

5.5.6 वृक्षारोपण करने के लिए बेकार पड़ी जमीन का उपयोग करना

5.5.7 जैव विविधता को बढ़ावा देना

5.5.8 पशु कल्याण एवं पशु चिकित्सक सेवाएं

5.5.9 छोटे किसानों की कृषि उन्नति एवं गृह निर्माण की क्षमताओं को पहचानना एवं तकनीकी समर्थन देना ।

5.5.10 वैकल्पिक उर्जा संसाधनों को बढ़ावा देना ।

5.5.11 स्वच्छ भारत अभियान के लिए अग्रणी होना

5.6 **अन्य गतिविधियाँ**

5.6.1 एतिहासिक महत्व वाले स्थल एवं भवन संग्रहण और कला का कार्य के साथ राष्ट्रीय विरासत, कला एवं संस्कृत का बचाव ।

5.6.2 सरकारी पुस्तकालयों की व्यवस्था ।

5.6.3 पारंपरिक कलाओं एवं हस्त कलाओं का विकास एवं उन्नति ।

5.6.4 सशस्त्र सैनिक बलों की ज्ञानवृद्धि, युद्ध के करण हुई विधवाओं एवं उन पर श्रितों के हित के लिए उपाय ।

5.6.5 ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीयकृत खेलों, पैरालिम्पिक खेलों एवं ऑलम्पिक खेलों की उन्नति ।

5.6.6 ग्रामीण विकास परियोजनाएं ।

5.6.7 ग्रामीण क्षेत्रों का विकास ।

5.6.8 केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित शैक्षणिक संस्थाओं में तकनीकी इंक्यूबेटरों की व्यवस्था के लिए नीधि या अंशदान देना ।

5.6.9 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गो, अल्पसंख्यक एवं महिलाओं की सामाजिक थिक प्रगति एवं कल्याण के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा किसी नीधि की व्यवस्था का योगदान ।

व्याख्या :

i इस मद के तहत, निबंधन हैं ऐसे क्षेत्र जिसे केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी सक्षम प्राधिकृत के अंतर्गत अभी लागू कोई विधि (संदर्भ जी.एस. र 568 (ई) दिनांक 6 अगस्त 2014)में घोषणा करता है तो उसका अर्थ होगा वह ग्रामीण क्षेत्र है ।

ii सूची में की गई संशोधन, औपचारिक रूप से समाहित कर लेने पर स्वत: ही सूची के अंग के रूप में स्वीकार्य होगा ।

6. संगरचना एवं कार्यान्वयन समिति :

6.1 सीएसआर एवं निर्वाह मंडल स्तरीय समिति :

6.1.1 कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं निर्वाह समिति तीन या उससे अधिक निदेशकों को समाविष्ट करेगी जिनका चुनाव स्वावलम्बी निदेशक करेंगे । एमडीएल के कम्पनी सचिव इस समिति के सचिव होंगे । यदि कोई स्वावलम्बी निदेशक नहीं होंगे तो दो निदेशको के अलावा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक समिति के प्रधान होंगे ।

6.1.2 समिति की भूमिका / उत्तरदायित्व में होंगे :

6.1.2.1 कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं निर्वाह नीति बनायेगी एवं मंडल को सिफारिश करेगी जिसे कम्पनी के परियोजनाएं / कार्यक्रम एवं गतिविधियाँ मानी जायेगी ।

6.1.2.2 किसी भी वित्तीय वर्ष में शुरू की गई परियोजनाएं / कार्यक्रमों एवं गतिविधियों एवं प्रत्येक परियोजना / कार्यक्रम में अनुमानित खर्च के लिए अनुमोदन ।

6.1.2.3 तिमाही धार पर विभिन्न परियोजनाओं / कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करना ।

6.1.2.4 वित्तीय प्राधिकार:

किसी भी राशि की □ वंटित की गई कुल बजट के परियोजनाएं / कार्यक्रम / गतिविधयों के अनुमोदन का अधिकार समीति का होगा ।

6.1.2.5 नीति के किसी भी प्रावधान का संशोधन, प्रगति / समाप्ति ।

6.2 सीएसआर एवं प्रबंधन निर्वाह समिति (सीएसआर एवं एसएमसी)

6.2.1 सीएस□ र एवं निर्वाह प्रबंधन समिति का संचालन डी (सीपी एवं पी) एवं विभागाध्यक्ष (एफ), विभागाध्यक्ष (मा.सं.), विभागाध्यक्ष (□ ई पी) एवं विभागाध्यक्ष (मा.सं. एवं प्रशासन) द्वारा होगी । सीएस□ र प्रमुख एवं निर्वाह सेल सदस्य सचिव के तौर पर कार्य करेंगे ।

6.2.2 समिति की भूमिका एवं उत्तरदायित्व होंगे

सीएस□ र से संबंधित सभी प्रस्तावों एवं निर्वाह परियोजनाएं / सीएस□ र कार्यकारी समिति के सिफारिशों पर की गई कार्यक्रमों एवं प्रदान की गई 50.00 लाख तक का □ र्थिक मूल्य के अनुमोदन की जाँच करना ।

6.3 **<u>सीएसआर एवं कार्यकारी निर्वाह समिति (एस एवं आर)</u>**

6.3.1 सीएस□ र एवं **कार्यकारी** निर्वाह समिति का संचालन विभागाध्यक्ष (मा.सं.) /विभागाध्यक्ष (मा.सं. एवं प्रशासन) एवं वित्त / वाययूसी / □ ई पी / मा.सं./ प्रशासन इत्यादि द्वारा समाविष्ट प्रतिनिधि द्वारा होगी । मुख्य सीएस□ र एवं निर्वाह सेल सदस्य सचिव के तौर पर कार्य करेंगे ।

6.3.2 कार्यकारी समिति की भूमिका / उत्तरदायित्व में होंगे :

6.3.2.1 प्रस्तावित परियोजना के लिए दी गई बजट / कार्य का समय स्वरूप एवं ब्योरा / परामर्श के साथ कार्यान्वयन के दौरान समय - समय पर कार्यान्वयन एवं निगरानी में □ नेवाली कठिनाईयों / निगरानी एजेंसियों का विवरण देना ।

6.3.2.2 परियोजनाओं से संबंधित प्रस्तावों / सरकारी एजेंसियों / गैर सरकारी संस्थाओं से ग्रहण की गई कार्यक्रमों एवं सर्वप्रथम उदाहरण सहित यह देखना कि दिया गया प्रस्ताव क्या सीएस□ र एवं निर्वाह परियोजना के अंतर्गत □ ता है या नहीं इसकी जाँच करना । अगर परियोजना / कार्यक्रम सीएस□ र एवं निर्वाह से संबंधित है तो कार्यकारी समिति परियोजनाएं/कार्यक्रम/ गतिविधियों के लिए 5 लाख □ र्थिक मूल्य तक का अनुमोदन करेगी ।

- अगर परियोजनाएं / कार्यक्रम / गतिविधियों का र्थिक मूल्य 5 लाख से 50 लाख तक के मध्य है तो कार्यकारी समिति , सीएस र एवं निर्वाह प्रबंधन समिति के समक्ष विचार - विमर्श के लिए कार्य योजनाओं एवं कार्यान्वयन योजनाओं के साथ-साथ इसके औचित्य एवं व्यवहार्यता की जाँच करेंगे एवं प्रस्तुत करेंगे ।
- अगर किसी परियोजना / कार्यक्रम का लागत 50 लाख से अधिक हो तो कार्यकारी समिति, सीधे सीएस र एवं निर्वाह मण्डल स्तरीय समिति के समक्ष विचार - विमर्श के लिए कार्य योजनाओं एवं कार्यान्वयन योजनाओं के साथ-साथ इसके औचित्य एवं व्यवहार्यता की जाँच करेंगे एवं प्रस्तुत करेंगे ।

6.3.2.3 सीएस र एवं एसडब्लूसी उपर्युक्त (ए) एवं (बी) में विनिर्दिष्ट योग्य समिति द्वारा परियोजना / कार्यक्रम के अनुमोदन का अनुसरण कर वश्यक कदम उठायेगें ।

- धारभूत सर्वेक्षण चलाने के लिए एजेंसियों का अंतिम चुनाव (यदि वश्यक हो) ।
- कार्यान्वयन एजेंसी के साथ परियोजना/ कार्यक्रम में समन्वय करना ।

- परियोजनाएं / कार्यक्रमों / एवं गतिविधियों के लिए सा.का.ज्ञा. एवं समय सारणी को अंतिम रूप देना ।
- परियोजनाओं / कार्यक्रमों / गतिविधियों का मूल्यांकन एवं निगरानी के लिए बाह्य अभिकर्ताओं को सम्मिलित करना
- सीएस एवं एलए द्वारा सा.का.ज्ञा का पुनरीक्षण एवं पार्टी / एजेंसी के साथ उसी सा.का.ज्ञा का हस्ताक्षर के लिए उचित कदम उठाना ।

6.3.3 सा.का.ज्ञा हस्ताक्षर के लिए निम्नलिखित कार्यकारी प्राधिकृत है :

डी (सीपी एवं पी)	:	50.00 लाख से अधिक
विभागाध्यक्ष (मा.सं.)/ विभागाध्यक्ष (मा.सं. एवं प्रशासन)	:	5 लाख से 50 लाख के बीच
सीएस□ र सेल प्रमुख	:	5 लाख तक

7. <u>सीएसआर सल्ल :</u>

7.1 एक सीएस□ र सेल का गठन किया जायेगा एवं यह मानव संसाधन विभाग के अंतर्गत प्रचालित होगा । किये जा रहे / भविष्य में □ ने वाली परियोजनाओं , कार्यक्रमों एवं गतिविधियों को भी ध्यान देगी । उन सभी परियोजनाओं का सेल हमेशा निगरानी करेगी । सेल का संचालन सीएमओ / अपर महाप्रबंधक (ओएचएस) द्वारा किया जायेगा। एक अन्य सीएस□ र दल के अधिसूचित / गठित होने तक अन्य विभाग से प्रतिनियुक्त कार्यकारियों द्वारा सेल को मदद की जायेगी ।

7.2 सीएस□ र सेल के विस्तृत कार्य निम्नलिखित है :

7.2.1 किये जा रहे विभिन्न सीएस□ र गतिविधियों का शिनाख्त करना ।

7.2.2 विभिन्न सीएस□ र परियोजनाओं के लिए सरकार से नामित एवं अन्य संगठनों के साथ संपर्क बनाना ।

7.2.3 सीएस□ र गतिविधियों के लिए बजट देने का प्रावधान बनाना ।

7.2.4 सभी प्राप्त प्रस्तावों एवं निर्धारण का पुष्टि के लिए संवीक्षा करना कि क्या वे सभी प्रस्ताव कम्पनी के दिशा निर्देशों / नियमों / नीतियों के अनुसार प्राप्त है ।

7.2.5 सीएस□ र एवं कार्य निर्वाह समिति / सीएस□ र एवं प्रबंधन निर्वाह समिति का बैठक बुलाना एवं इन बैठकों का रिर्कोड एवं प्रक्रियाओं की देख - रेख करना ।

7.2.6 सीएस□ र एवं प्रबंधन निर्वाह समिति के समक्ष सीएस□ र के लिए अपेक्षित बैठक के सभी प्रस्तावों को विचार - विमर्श के लिए प्रस्तुत करना ।

7.2.7 उचित निर्णय लेने के लिए सूचीबद्ध प्रस्तावों को सीएस र कार्यकारी समिति / सीएस र एवं प्रबंधन निर्वाह समिति के समक्ष प्रस्तुत करना

7.2.8 सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्य गैर सरकारी संस्थाओं / अभिकर्ताओं के देय नीधि को देने के लिए फाइल को प्रस्तुत करना

7.2.9 धारभूत सर्वेक्षण द्वारा वश्यक शिनाख्त करना

7.2.10 कार्यान्वित परियोजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए स्वावलम्बी बाह्य एजेंसी की नियुक्ति का प्रस्ताव प्रस्तुत करना एवं सामाजिक - थिक / पर्यावरण के लिए किये कार्यो से हुए प्रभावों को देखना ।

7.2.11 डी(सीपी एवं पी) के अनुमोदन पर परियोजनाओं, कार्यक्रमों, गतिविधयों के निगरानी एवं परियोजनाओं के मूल्यांकन के कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों, स्वंय सेवी संगठनों , ट्रस्ट , समाजों, संस्थाओं, शैक्षणिक संगठनों, समुदाय पर धारित संगठनों इत्यादि का जो कि कार्यान्वयन के लिए वश्यक हो उनका पैनल बनाने के लिए कदम गे बढ़ना ।

7.2.12 परियोजनाओं के निष्पादन के लिए हस्ताक्षर हुए सा.का.ज्ञा. / करार को सुकर बनाना ।

7.2.13 बाह्य एजेंसी सम्मिलित कर या किसी ंतरिक समिति द्वारा परियोजनाओं के प्रगति की निगरानी करना ।

7.2.14 परियोजनाओं के कार्यान्वयन से सामाजिक - थिक / पर्यावरण पर हुए प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए स्वावलम्बी बाह्य एजेंसी की व्यवस्था करना ।

7.2.15 परियोजना के प्रारंभ से अंत तक के सभी दस्तावेजों को पूरी सावधानी से सम्भाल कर रखना

7.2.16 सीएस र एवं निर्वाह कार्य से संबंधित कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों की व्यवस्था करना ।

7.2.17 समय - समय पर दिये गये निर्देशों के धार पर रक्षा मंत्रालय / कारपोरेट कार्य मंत्रालय / केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों के लिए रिपोर्ट तैयार करना ।

7.2.18 सीएस र के सभी दस्तावेजों एवं अभिलेखों को अपकिप करना ।

7.2.19 समय - समय पर जरूरी होते जा रहे सीएस र से संबंधित सभी अन्य कार्यो को ग्रहण करना ।

8. <u>कार्यान्वयन की रूपरेखा</u>

8.1 वश्यकता के निर्धारण / व्यवहार्यता के लिए चल रहे परियोजना स्थलों का सीएस र एवं निर्वाह कार्य समिति के सदस्य दौरा करेंगे ।

8.2 बोर्ड / प्रबंधन / कार्य स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित सीएस र एवं निर्वाह परियोजना की गतिविधियों को कम्पनी द्वारा स्वंय या इस उद्देश्य से कम्पनी द्वारा नियुक्त किये गये बाह्य विशिष्ठ एजेंसियों द्वारा चलाये जायेगें ।

8.2.1 विशिष्ट अभिकर्ताओं के पास जारी सामानान्तर कार्यक्रमों / परियोजनाओं के 3 वर्षो का ट्रैक रिर्कोड होना चाहिए । सरकारी निकायों / सीपीएसई एवं वैध यकर छूट प्रमाण पत्र जिनके पास हो उस एजेंसी को वरीयता दी जायेगी ।

8.2.2 जब कम्पनी के सीएस र एवं निर्वाह समितियों के परियोजनाओं / कार्यक्रमों के लिए विशिष्ट कार्यान्वयन एजेंसी का चयन किया जायेगा उस दौरान विशिष्ट एजेंसियों की सूची / सरकारी उद्यमों के विभाग द्वारा (डीपीई) अधिसूचित एजेंसियों या रक्षा मंत्रालय (एमओडी) या कारपोरेट कार्य मंत्रालय इसके साथ ही केंद्र / राज्य सरकारों में अधिसूचित एजेंसियों पर ही विचार किया जायेगा ।

8.3 अन्य सीपीएसई द्वारा ग्रहण की गई सीएस र एवं निर्वाह परियोजनाओं / कार्यक्रमों में एमडीएल भी सहयोग कर सकती है ऐसे कार्यो को दोनों ही कम्पनियों के सीएस र एवं निर्वाह समिति परियोजनाएं / कार्यक्रमों को अलग - अलग स्थिति में रिपोर्ट करेगी ।

8.4 केन्द्रीय सरकार / राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई कम्पनी के सीएस र एवं निर्वाह गतिविधियों में इसके साथ ही वश्यकता पड़ने पर स्थानीय निकायों के साथ सीएस र एवं निर्वाह समिति द्वारा दिये गये विचार एवं निर्देश के अनुसार एमडीएल सहक्रिया कर सकती है

8.5 एमडीएल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक सोसाइटी बना सकती हैं या सीएस र एवं निर्वाह परियोजनाएं / कार्यक्रमों को बनाये रखने के लिए एक ट्रस्ट पंजीकृत कर सकती है ।

9 **बजट / नीधि**

9.1 वार्षिक सीएस र एवं निर्वाह बजट :

कम्पनी अधिनियम 2013, के 135 वें अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत कंपनी वार्षिक सीएस र एवं निर्वाह बजट प्रत्येक वित्तीय वर्ष में तब वंटित करेगी जब कम्पनी का औसत शुद्ध लाभ पिछले तीन वर्षो के दौरान 2 प्रतिशत से कम न रहा हो । प्रत्येक वित्तिय वर्ष में बची हुई राशि पड़ी नहीं रहेगी उसका उपयोग अगले वित्तिय वर्ष में सीएस र एवं निर्वाह गतिविधियों में होगा ।

9.2 बजट वंटन:

9.2.1 सीएस र एवं निर्वाह बजट के 60 प्रतिशत से कम परियोजना कार्य के गतिविधियों के लिए बंटित नहीं किया जायेगा । कम्पनी सीएस र कार्यक्रम/परियोजनाओं में 60 प्रतिशत बजट का प्रयोग स्थानीय क्षेत्रों में करने का प्रयत्न करेगी एवं बची हुई 40 प्रतिशत का खर्च अन्य क्षेत्रों में करेगी ।

9.2.2 सीएस र एवं निर्वाह बजट के 5 प्रतिशत से अधिक सीएस र एवं निर्वाह क्षमता बढ़ाने के लिए कम्पनी अपने कार्मिकों या कम से कम तीन वित्तीय वर्षो के रिकोर्ड के अनुसरण पर संस्थाओं के साथ स्थापित कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उपयोग नहीं किया जायेगा । इसमें धारभूत सर्वेक्षणों के धार पर किये गये व्यय एवं निर्धारित अध्ययनों के प्रभाव एवं प्रशासनिक खर्च सम्मिलित है ।

10.**<u>हिसाब एवं खर्च प्रक्रियाएँ</u>**

10.1 सीएस र एवं निर्वाह कार्यकारी समिति के रिपोर्ट एवं अनुमोदन होने पर कार्यान्वयन समिति को अग्रिम राशि के खर्च का ब्यौरा प्रमाणित करने पर उस एजेंसी द्वारा भुगतान किया जा सकता है। प्रमाणपत्र, व्यय बिल की प्रति / परियोजना से संबंधित मसौदा के साथ होने चाहिए जिसके लिए कम्पनी नीधि दे दी है ।

10.2 अनुवर्ती महीना / तिमाही के लिए भुगतान उपरोक्त प्रक्रिया के अनुपालन के बाद बृहत्तम 75 प्रतिशत दी गई अग्रिम राशि के समायोजन होने पर ही किया जायेगा ।

10.3 कार्यान्वयन कर्ता के पास कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 8 के अंतर्गत ट्रस्ट / सोसाइटी का पंजीकरण प्रमाणपत्र होना चाहिए ।

11. <u>व्यय का अनुमोदन</u>

स्टेज के साथ / अनुमोदित सीएस र परियोजनाएं , कार्यक्रम, गतिविधि के अन्तराल भुगतान से संबंधित व्यय के अनुमोदन का पालन निम्नलिखित तरिकों से किया जायेगा :

क्र. सं.	वित्तीय सीमा	सक्षम प्राधिकारी	वित्तीय सहमति
1.	प्रत्येक मामलों में 50 लाख से	अप्रनि	डी (एफ)

	अधिक		
2.	उच्चतम मूल्य प्रतिवर्ष 100 लाख होने पर प्रत्येक मामले में 5 लाख से 50 लाख	डी(सीपी एवं पी)	विभागाध्यक्ष (एफ)
3.	उच्चतम मूल्य 20 लाख रहने पर, प्रत्येक मामले में 5 लाख	विभागाध्यक्ष (मा.सं.)	पीई (वित्त - मा.सं. एवं प्रशासन

12. <u>मूल्यांकन विधि</u>

सीएस□ र एवं निर्वाह परियोजनाओं का मूल्यांकन बाह्य स्वावलम्बी एजेंसी द्वारा किया जाता है । यह मूल्यांकन समवर्ती एवं अंतिम दोनों होना चाहिए । कम्पनी के सीएस□ र एवं निर्वाह का पूर्ण पालन के □ लोचनात्मक निर्धारण के लिए कम्पनी एक सोसल ऑडिट फर्म ले सकता है ।

13. **<u>सीएसआर रिपोर्टिंग</u>**

विभिन्न परियोजनाओं / कार्यक्रमों / गतिविधियों के साथ कंपनी के निदेशक मण्डल के वार्षिक रिपोर्ट को उनके अंग के रूप में ग्रहण करते हुए सीएस□ र का एक रिपोर्ट तैयार करना । अप्रैल 2014 (अनुलग्नक -ए) के प्रथम दिन या उसके बाद प्रारम्भ हुए वित्तीय वर्ष से संबंधित सीएस□ र एवं निर्वाह गतिविधियों के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित एवं उनके अंर्तगत बनाये गये नियमों एवं निर्धारित प्रारूप में उसे राजपत्र अधिसूचना सं. जी.एस.□ र. 129 (ई) दिनांक 27 फरवरी 2014 में देखें ।

14.<u>एमडीएल क□ वब्ब साइट पर सीएसआर एवं निर्वाह गतिविधियों का प्रदर्शन</u> :-

सीएस□ र एवं निर्वाह समिति के सिफारिशों को समझने के बाद कंपनी का निदेशक मंडल बन सकती है एवं कम्पनी के लिए सीएस□ र एवं निर्वाह नीति

का अनुमोदन दे सकती है एवं इन नीतियों के विषय - वस्तु का खुलासा कम्पनी के वेब साइट पर दिखाने के अलावा अपनी रिर्पोट में कर सकती हैं ।

15. **<u>सामान्य</u> :**

15.1 समय - समय पर इस विषय में सरकार द्वारा जारी की गई दिशा - निर्देशों के अनुसार पुनरीक्षण / संशोधन के धर पर सीएस र की कोई नीति या सभी प्रावधान होंगे ।

15.2 नीति के प्रावधान एवं उससे संबंधित विषय जो उसमें नहीं है के विवाद / व्याख्या के मामले पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का व्याख्या एवं निर्णय अंतिम होगा ।

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

अनुलग्नक - ए

<u>मंडल क□ रिपोर्ट क□ साथ सीएसआर गतिविधयों का वार्षिक रिपोर्ट क□ लिए प्रारूप</u>

1. सीएस□ र नीति एवं परियोजनाओं या कार्यक्रमों को ग्रहण करने या वेब लिंक का संदर्भ के उद्देश्य से प्रयोजनाओं एवं कार्यक्रमों पर पूर्ण विचार के साथ कम्पनी के सीएस□ र नीति का संक्षिप्त वर्णन :
2. सीएस□ र समिति का संयोजन
3. पिछले तीन वित्तीय वर्षो में कम्पनी का शुद्ध लाभ
4. निर्धारित सीएस□ र के व्यय (उपरोक्त मद तीन के अनुसार कुल राशि का दो प्रतिशत)
5. वित्तीय वर्ष में सीएस□ र के खर्च का विवरण
    क) वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कुल राशि
    ख) खर्च में बची हुई राशि, अगर कुछ हो
    ग) वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि के ब्यौरे का विवरण निम्न है :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क्र. सं.	**सीएसआर परियोजना या गतिविधि का शिनाख्त**	**क्षत्र जहाँ पर परियोजना हुई**	**परियोजनाएं या कार्यक्रम 1. स्थानीय या अन्य क्षत्र 2 जिस राज्य एवं**	**राशि आवंटन परियोजना या कार्यक्रम क□ अनुसार**	**परियोजनाओं या कार्यक्रमों में खर्च की गई राशि का उप - शीर्षक : 1. परियोजना या कार्यक्रम पर सीधा व्यय**	**रिपोर्ट करन□ तक की अवधि का कुल**	**कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा या सीध□ खर्च की गई राशि**

			जिला में परियोजनाएं या कार्यक्रम हुआ था विशेष रूप से उल्लेख करना	**(बजट)**	**2. सभी पर व्यय**	**व्यय**	

- कार्यान्वयन एजेंसी का विवरण दें :

6. अगर किसी कारण से कम्पनी पिछले तीन वित्तीय वर्षो या किसी वर्ष में औसतन शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च नहीं कर पा रही हैं तो कम्पनी अपने बोर्ड रिपोर्ट में खर्च नहीं कर पाने का कारण की जानकारी देगा ।
7. कम्पनी के सीएसआर के उद्देश्यों एवं नीति के अनुपालन के साथ सीएसआर नीति के कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिए सीएसआर समिति का उत्तर- दायित्वपूर्ण कथन

(अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या निदेशक)	(सीएसआर समिति का अध्यक्ष)	(अधिनियम 380 के अनुच्छेद (1) के उप - अनुच्छेद (डी) के उप वाक्य के अंतर्गत विनिर्दिष्ट व्यक्ति) (जहाँ भी लागू हो)